न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 113 सन 2021

अनवान :–

1. साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी सिरगंसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 07/03/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मोजा ढाणी रायकान के साबिका खसरा न0 1307/1693 की 42.12 बीधा भूमि वादी साहबराम पुत्र सहीराम को दिनांक 13.09.1974 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि वादी/आवंटी साहबराम पुत्र सहीराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा ढाणी रायकान के साबिका खसरा न0 1307/1693 की 42.12 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /हाल खसरा न0 1693 की 42.12 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है हाल खसरा न0 1307/1693 की 42.12 बीधा भूमि आवंटी/वादी साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी /आवंटी साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी सिरंगसर को रोही मौजा ढाणी रायकान के साबिका खसरा 1307/1693 हाल खसरा न0 1307/1693 की कुल 42.12 बीधा भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है।

रोही मोजा ढाणी रायकान के साबिका/हाल खसरा न0 1307/1693 की 42.12 बीधा भूमि दिनांक 13.09.1974 को आवंटन की गई थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी वादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 426/410 के खसरा न0 1307/1693 की (42.12) 10.7750हैक्‍ भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 426/[illegible]1693 की (42.12) 10.7750हैक्‍ भूमि जो वादी साहबराम पुत्र सहीराम को दि[illegible] 13[illegible]1974 को आवंटन की गई थी जो वादी के साहबराम पुत्र सहीराम [illegible] आ रही है जो वादी के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज [illegible] को बतौर खातेदार [illegible]कार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का [illegible] डिक्री फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:41 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा ढाणी रायकान के साबिका खसरा न0 1307/1693 की 42.12 बीधा भूमि वादी साहबराम पुत्र सहीराम को दिनांक 13.09.1974 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि वादी/आवंटी साहबराम पुत्र सहीराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा ढाणी रायकान के साबिका खसरा न0 1307/1693 की 42.12 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /हाल खसरा न0 1693 की 42.12 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है हाल खसरा न0 1307/1693 की 42.12 बीधा भूमि आवंटी/वादी साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी /आवंटी साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी सिरंगसर को रोही मौजा ढाणी रायकान के साबिका खसरा 1307/1693 हाल खसरा न0 1307/1693 की कुल 42.12 बीधा भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है।

रोही मोजा ढाणी रायकान के साबिका/हाल खसरा न0 1307/1693 की 42.12 बीधा भूमि दिनांक 13.09.1974 को आवंटन की गई थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी वादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 426/410 के खसरा न0 1307/1693 की (42.12) 10.7750हैक्‍ भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा ढाणी रायकान के साबिका /हाल खसरा न0 1307/1693 की कुल 42.12 बीधा भूमि साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन सिरगसर को दिनांक 13.09.1974 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 55 से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि साहबराम पत्रु सहीराम जाति जाट साकिन सिरगासर जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान [illegible] के नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो के स[illegible] में [illegible]कार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:41 IST
Reason: SelfAttested

अर्थात वाद भूमि साहबराम पुत्र सहीराम को दिनांक 13.09.1974 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 55 से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि वादी के साहबराम पुत्र सहीराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

/पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा ढाणी रायकान के साबिका खसरा न0 1307/1693 की 42.12 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 1307/1693 की 42.12 बीधा में ही परिवर्तन / पैमुद किया गया है तत्तपश्चात भूमि हैक्टयर में परिर्वतन हाने पर खसरा न0 1307/1693 की 10.7750हैक में पैमुद किया गया है जो पूर्व एवं वर्तमान जमाबन्दीयो स पूर्णत्या साबित है।

वादी को रोही मौजा ढाणी रायकान के साबिका/हाल खसरा न0 1307/1693 की 42.12 बीधा भूमि आवंटन की गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी साहबराम के नाम से गैरखातेदारी वादी के नाम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन सिरगसर को रोही मौजा ढाणी रायकान के खसरा न0 1307/1693 की 42.12 बीधा आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है

क्योकि वादी वाद भूमि दिनांक 13.09.1974 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी आवंटन दिनांक 13.09.1974 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वादी वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य-सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राज़स्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछ्डा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन झेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन सिरगसर (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा ढाणी रायकान के साबिका /हाल खसरा न0 1307/1693 की कुल 42.12 बीधा अर्थात 10.7750हैक्‍ भूमि आवंटन दिनांक 13.09.1974 को आवंटन की गई थी जो नामान्तकरण संख्या 55 से पूर्णत्या साबित है आवंटन होने के पश्चात वाद भूमि वादी के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी साहबराम पुत्र सहीराम को आवंटन नियम 1957/1970 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन सिरगसर को रोही मौजा ढाणी रायकान के साबिका /हाल खसरा न0 1307/1693 की कुल 42.12 बीधा अर्थात 10.7750हैक्‍ भूमि दिनांक 13.09.1974 को आवंटन की गई थी जो वर्तमान एव साबिका राजस्व रिकार्ड में बतोर गैरखातेदार दर्ज है तथा आवंटन से लेकर आदिनांक तक कब्जा काश्त में चली हा रही है जिसके सम्बध में कोई वाद /विवाद नही है तथा वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में शामिल की जा चुकी है वादी अब उपनिवेशन नियमों के तहत एवं समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के परिपेक्ष्य में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है.

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 426/410 के खसरा न0 1307/1693 की कुल 42.12 बीधा अर्थात 10.7750हैक्‍ भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की बारानी आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री [illegible] की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बांद तरतीब तकमील जाब्ता [illegible] हो ।

निर्णय आज दिनांक [illegible] लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 113 सन 2021 निर्णय दिनांक – 07/03/2024

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधांर पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 426/410 के खसरा न0 1307/1693 की कुल 42.12 बीधा अर्थात 10.7750हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की बारानी आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:41 IST
Reason: SelfAttested